शान्ति देवी बनाम ओम प्रकाश वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु०नं० - 303/2011
2-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान वर्ष-2018 26-6-18 14-5-18
14-5-18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प - मुण्डरू में पेश हुई। मौके पर पटवारी हल्का मुण्डरू ने अवगत कराया कि वादीगण द्वारा बकास्ता का वाद दायर किया गया है। जबकि मौके पर खातेदारी अन्य व्यक्तियों के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिगण के नाम दर्ज खातेदारी जरिये नामान्तरण सरकुलर 1682 दिनांक 21-2-14 के द्वारा धान्य किशन पिता गुमान कौम बावरी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता सरकुलर 264 से प्रमाणित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं है। अतः वादीगण वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मिसिल दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 14-5-18 को आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प- मुण्डरू के मजमे-ए-आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner